

प्रेषक,

सुनील कुमार वर्मा,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

मत्स्य विभाग,

उ०प्र० लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 28 जुलाई, 2026

विषय: उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में मात्स्यिकी के विकास हेतु नए तालाब एवं झींगा बीज रियारिंग इकाई के निर्माण हेतु सहायता योजना के लिए आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि 12.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-397/नि०शा०/2026-27 दिनांक 30.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन, 101 अन्तर्देशीय मछली पालन, 07-प्रदेश में अंतर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में मात्स्यिकी के विकास हेतु नए तालाब एवं झींगा बीज रियारिंग इकाईओं के निर्माण, 20-सहायता अनुदान सामान्य (गेर वेतन) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में मात्स्यिकी के विकास हेतु नए तालाब एवं झींगा बीज रियारिंग इकाई के निर्माण हेतु सहायता योजना हेतु आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि 25.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में मात्स्यिकी के विकास हेतु नए तालाब एवं झींगा बीज रियारिंग इकाई के निर्माण हेतु सहायता योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन, 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 07-प्रदेश में अंतर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में मात्स्यिकी के विकास हेतु नए तालाब एवं झींगा बीज रियारिंग इकाईओं के निर्माण, 20-सहायता अनुदान सामान्य (गेर वेतन) के अन्तर्गत धनराशि 12.50 लाख (रु० बारह लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि को आहरित कर व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न

ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

(5) ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व महानिदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(6) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च 2026 तथा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12.50 लाख (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन, 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 07-प्रदेश में अंतर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में मात्स्यिकी के विकास हेतु नए तालाब एवं झींगा बीज रियारिंग इकाईओं के निर्माण, 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- E-1-95-X-2026-27-दिनांक:23-7-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
SUNIL KUMAR VERMA

Date: 28-07-2026

10:16:45

भवदीय,

(सुनील कुमार वर्मा)

विशेष सचिव।

संख्या- 40 /2026/ 1148(1) तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन उ०प्र० तखनऊ।
4. उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ०प्र० तखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ०प्र० तखनऊ।
6. सम्बंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / नियोजन अनुभाग-3।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार वर्मा)

विशेष सचिव।